(ii) Filing of prosecution cases under section 14 of the E.P.F. Act;

(iii) Filing of complaints under section 406/409 IPC in cases of non-payment of contribution deducted from the wages of the employees;

(iv) Levying damages under section 14 B of the E.P.F. Act.

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2697 **श्री शरद यादव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को दोषी तथा कितनों को निर्दोष पाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक में कार्यरत उच्च अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की अब तक जांच नहीं कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और यह शिकायत किस स्वरूप की है तथा उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधूरी योजनाएं

2698. **श्री शरद यादव :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिन्हे समय पर पूरा नहीं किया जा सका तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऊपर उल्लिखित इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय अनुसूची निर्धारित की गयी थी और इन्हें पूरा करने में वास्तव में कितना समय लगेगा ;

(ग) इन योजनाओं को समय पर पूरा न किये जाने के क्या कारण है ;

(घ) क्या उपर्युक्त योजनाओं को समय पर पूरा न किये जा सकने के कारणों में से एक कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही और अकर्मण्यता भी है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सन् 1979 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की गई थी :—

1 नवीन पद्धति योजना—79 (हुडको)

2. स्ववित्त पोषित योजना–III

3. स्ववित्त पोषित योजना–IV

4. स्ववित्त पोषित योजना–V

5. स्ववित्त पोषित योजना–VI

6. विशेष आवास योजना—82 (आर. पी. एस.—82)

7. विशेष आवास योजना—85 (आर. पी. एस.—85)

इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई थी क्योंकि किसी योजना को पूरा करना इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, वित्त

व्यवस्था, भवन निर्माण सामग्री, नागरिक सेवायें / मूलभूत सुविधाओं आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

Autonomy for AIR and Doordarshan

2699. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the names of Political Parties who wanted autonomous status for Akashwani and Doordarshan; and

(b) what is the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Several political parties including Janata, Telugu Desam, Akali Dal (L), Samyukta Socialist Party have made the demand for autonomous status for Akashvani and Doordarshan in the recent past.

(b) Government is of the view that the media are meant to serve the people and for such a purpose, it is not necessary that they should be set up as statutory bodies/corporations. However, both All India Radio and Doordarshan enjoy complete autonomy in all professional matters.

Delay in deputing Central Teams to drought and flood affected States

2700. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the reasons for the delay in deputing the Central teams to study the drought/flood situation, submission of their reports and releasing of the recommended funds; and

(b) what are the steps proposed to be taken by the Central Government to avoid this delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) High Level Committee on Relief had laid down a time schedule for processing Memorandum submitted by State Government seeking Central assistance in the wake of natural calamities. All efforts are made to adhere to this time schedule.

Expert Committee for specification for oilseeds

2701. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government had constituted an expert Committee for determining FAO specifications for oilseeds on the recommendations of the Agricultural Cost and Prices Commission on price policy for Rabi crops of 1987-88; and

(b) whether the Committee has submitted its reports and if so, the details thereof and the recommendations of the Committee considered by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Yes, Sir. However, such an Expert Committee was set up on the recommendations of the Commission in its report for Rabi crops of 1986-87.

(b) The Committee has since submitted its report. The recommendations given by the Committee cover standardisation of Fair Average Quality and one grade below Fair Average Quality for oilseeds such as groundnut pods, mustard, toria, soyabean, sunflower and safflower under price support scheme. Besides, the Committee has recommended upgradation of technical facilities at Mandi level. The Government has accepted